

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 4845-

दिनांक - 27.10.23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मानाराम 2 खीयाराम पिसरान लुम्बाराम 3 नोजी पत्नी लुम्बाराम 4 पोकरराम पुत्र लुम्बाराम 5 भोमाराम के कायम मुकाम 5/1 कंवराराम 5/2 शंकरलाल पिसरान भोमाराम 5/3 पेम्पोदेवी पत्नी भोमाराम 6 मोडाराम पुत्र लुम्बाराम जाति सुथार निवासी लाभू सुथारों का तला, बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


1 मूलाराम पुत्र वीरमाराम जाति सुथार 2 बगताराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी आईदानसरा बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 295/2023

दिनांक- 23.10.23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आईदानसरा पटवार क्षेत्र बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 996/724 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 27.10.23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 4846-49

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मानाराम पुत्र लुम्बाराम वगैराह जाति सुथार निवासी लाभू सुथारों का तला, बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मूलाराम पुत्र वीरमाराम वगैराह जाति सुथार निवासी आईदानसरा बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर